अभियोजन अधिकारियों की कार्यशाला में बोले हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा

अभियोजन अधिकारियों का कार्य सजा दिलाना भर नहीं, न्याय प्रदान करने में सहयोग करना भी

जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कहा कि अभियोजन अधिकारियों का कार्य महज सजा दिलाना भर नहीं है बल्कि न्याय प्रदान करने में सहयोग करना भी है। वे अभियोजन अधिकारियों की एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि बतौर बोल रहे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अधिवक्ता संकल्प कोचर, एडीजे रविंद्र प्रताप सिंह चुंडावत, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड मंजू सिंह सहित अन्य ने भी अपने विचार रखे।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कहा कि अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष सत्य को उजागर करने में भरपूर सहयोग करना चाहिए। वहीं लैंगिक अपराधों व किशोर न्याय से संबंधित

अपराधों के सिलसिले में जागृति लाने के लिए प्रचार माध्यमों की सहायता से शिक्षण संस्थानों में आयोजन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से अपराध में कमी आएगी।

अभियोजन अधिकारियों के सर्वांगीण विकास, कार्यदक्षता में वृद्धि व नवीन परिदृश्य के अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान करने की मंशा से आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक बहुगुणा ने कहा कि अभियोजन और पुलिस के समन्वय से प्रकरणों में सजा का प्रतिशत बढ़ा है। मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता संकल्प कोचर ने इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का संकलन व साक्ष्य की ग्रहता के संबंध में जानकारी दी। एडीजे रविन्द्र प्रताप सिंह चुंडावत ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012 के प्रविधान व साक्ष्य संकलन विषय पर महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किए। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड मंजू सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम-2005 से संबंधित प्रविधान, साक्ष्य संकलन व न्यायलय में आने वाली कठनाइयों पर ध्यान आकृष्ट कराया।

ये रहे शामिल

कार्यशाला छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा व जबलपुर के अभियोजन अधिकारियों व मंडला से डीपीओ एके मिश्रा, जिला पन्ना के डीपीओ संदीप पांडे, सतना से अतिरिक्त डीपीओ गणेश पांडे, सिंगरोली से डीपीओ गौतम, रीवा से डीपीओ शुक्ला व अपर लोक अभियोजक प्रमोद पांडे, ज्योति राय, लहर दीक्षित, अनिल कुमार तिवारी, कुक्कू दत्त सहित अन्य अपर लोक अभियोजक उपस्थित रहे। महानिदेशक लोक अभियोजन, भोपाल अन्वेश मंगल के मार्गदर्शन में उक्त कार्यशाला का आयोजन उपसंचालक अभियोजन विजय कुमार उइके की अध्यक्षता मे हुआ। कार्यशाला के समापन पर जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन द्वारा मुख्य अतिथि, व्याख्याता, अन्यत्र जिलों से उपस्थित हुए अभियोजन अधिकारी व अपर लोक अभियोजक व स्टाफ का आभार ज्ञापित किया।